अनु... 14—फारम संख्या—562

न्यायालय समाहर्त्ता—सह—जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

सरफेसी वाद संख्या—49/2018—19

—: आदेश—पत्रक :—

(देखे अभिलेख हस्तक—1941 का नियम—129)

आदेश पत्रक—तारीख :— .... से .... तक

जिला :— मुजफ्फरपुर .... सन्

केस का प्रकार—

इलाहाबाद बैंक बनाम जे०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हियरिंग

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
19/1/2019	प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा पटना के द्वारा दिनांक 05.12.2018 को एक आवेदन दाखिल करते हुए अनुरोध किया गया कि जे०एम० इन्स्टीच्यूट ऑफ स्पीच एण्ड हिरिंग, निबंधित कार्यालय—इन्द्रपुरी रोड संख्या—5, केसरी नगर, पटना—800024 के द्वारा लिए गए ऋण को निर्धारित शर्त्तो एवं प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समय—सीमा के अंदर नहीं चुकाने के कारण SARFAESI Act 2002 की धारा—14 के अंतर्गत उनके द्वारा बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति (संक्षेप में— 1. मौजा छाजन हरिशंकर, अंचल कुढ़नी (तुर्की), थाना संख्या—161, जिला मुजफ्फरपुर एवं 2. मौजा शाहजहाँपुर भटौलिया, परगना—विसरा, थाना मुशहरी, जिला मुजफ्फरपुर) का दखल कब्जा उन्हें दिलाने के लिए दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की जाए। बैंक से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में इस न्यायालय के ज्ञापांक—2024/न्या०, दिनांक—20.12.2018 के द्वारा विपक्षी को नोटिस के माध्यम से आदेश दिया गया कि नोटिस प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर संबंधित बैंक में सूद सहित पूरी राशि जमा करना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा उनके विरूद्ध सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरपुर को नोटिस तामिला हेतु भेजा गया। प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरपुर के पत्रांक 237, दिनांक 10.01.2019 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि विपक्षी को 29.12.2018 को नोटिस का तामिला कराया गया, लेकिन निर्धारित समय—सीमा बीतने के बावजूद उनके द्वारा बैंक में कोई भी राशि जमा नहीं कराई गई है। अपने पत्र में बैंक के द्वारा अनुरोध किया गया है कि विपक्षी के द्वारा बैंक में गिरवी रखी गई संपत्ति का दखल कब्जा बैंक को दिलाने हेतु दंडाधिकारी एवं सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति का आदेश पारित किया जाए। बैंक से प्राप्त प्रतिवेदन के परिशीलन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के द्वारा जान बूझकर लिए गए ऋण को नहीं चुकाया जा रहा है। इस तरह, विपक्षी के विरूद्ध सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाई अति आवश्यक है।	

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

सरफेसी वाद संख्या–49 / 2018–19

वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उक्त बैंक से प्राप्त अधियाचना के आलोक में निर्धारित तिथि को पर्याप्त संख्या में पुलिस बल विहित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि उक्त बैंक से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य हेतु तिथि का निर्धारण करते हुए विहित प्रक्रिया के तहत एक दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे एवं उन्हें निर्देश दिया जाए कि उक्त मामले से संबंधित संपत्ति का दखल कब्जा उक्त बैंक के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी को दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

प्राधिकृत पदाधिकारी, इलाहाबाद बैंक, मुख्य शाखा पटना / इलाहाबाद बैंक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि उक्त पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उक्त कार्य का निष्पादन करने का कष्ट करेंगे।

इस आदेश का तामिला संबंधित बैंक को जिला अग्रणी प्रबंधक, मुजफ्फरपुर के माध्यम से कराया जाए।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए। साथ ही, आदेश की प्रति इस जिले के वेबसाइट पर अपलोड कराया जाए।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	समाहर्त्ता, –सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर।

न्यायालय समाहर्त्ता–सह–जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर

अधिहरण वाद संख्या–300/2017–18

(पीयर थाना कांड संख्या–138/2017)

–: आदेश–पत्रक :–

(देखे अभिलेख हस्तक–1941 का नियम–129)

आदेश पत्रक–तारीख :– ..... से ..... तक

जिला :– मुजफ्फरपुर ..... सन

केस का प्रकार–

सरकार बनाम अमरनाथ महतो एवं अन्य

आदेश के क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 18.09.2018 को आदेश पारित किया गया कि चूंकि पीयर थाना कांड संख्या 138/2017 में जब्त वाहन (स्कार्पियों निबंधन संख्या BR01PC-1309) से शराब की बरामदगी नहीं की गई, इसलिए मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया गया कि उक्त वाहन का मूल्यांकन प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए। मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्र दिनांक 08.10.2018 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त वाहन का मूल्य रू0 4,00,000/– (चार लाख मात्र) है। वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा निदेशानुसार मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के प्रतिवेदन में अंकित कूल्य के आलोक में दो प्रतिभूति के रूप में दो वाहनों (1. Jeep Reg. No. BR06PC-8042 -दिनेश राय, पे0 रामवृक्ष राय, साकिन+पोस्ट–खबड़ा, थाना सदर, जिला मुजफ्फरपुर 2. Taxi Jeep Reg. No. BR06PD-4044 अच्छे लाल राय, पे0 बिन्देश्वर राय, साकिन चंदन बखरी मिर्जापुर, थाना अहियापुर, जिला मुजफ्फरपुर) से संबंधित कागजात दाखिल किया गया, जिसके प्रसंग में इस न्यायालय के पत्रांक–1930/म0नि0, दिनांक–05.12.2018 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर से स्वामित्व एवं मूल्यांकन प्रतिवेदन की मांग की गई। जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक 4016, दिनांक–12.12.2018 एवं पत्रांक 4017, दिनांक 12.12.2018 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में अंकित विवरणी के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिभूति में दाखिल वाहन स्वामी से संबंधित विवरणी सही है। मोटरयान निरीक्षक, मुजफ्फरपुर के पत्र दिनांक 12.12.2018 के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में BR06PC-8042 का मूल्य 5,80,000/– (पाँच लाख अस्सी हजार मात्र) एवं BR06PD-4044 का मूल्य 9,00,000/– (नौ लाख मात्र) अंकित किया गया, जो निर्धारित मूल्य 4,00,000/– (चार लाख मात्र) से अधिक है। दिनांक–07.01.2019 को उक्त वाद की सुनवाई की गई। सुनवाई के क्रम में वाहन स्वामी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि	

आदेश-300/17-18

माननीय उच्च न्यायालय, पटना एवं इस न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के आलोक में उनके द्वारा कागजात दाखिल किया गया था, जिसके प्रसंग में संबंधित पदाधिकारी से मूल्यांकन/स्वामित्व प्रतिवेदन प्राप्त है। उनके द्वारा दाखिल बंधपत्र पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, मुजफ्फरपुर के द्वारा भी जब्त वाहन की विमुक्ति की अनुशंसा की गई है। अतः उनके वाहन को मुक्त करने का आदेश देने का अनुरोध किया गया।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, मुजफ्फरपुर के द्वारा बताया गया कि उक्त कांड में जब्त वाहन को मुक्त करने हेतु निदेशानुसार प्रतिभूति के रूप में दो वाहनों से संबंधित कागजात दाखिल किया गया, जिसके प्रसंग में संबंधित पदाधिकारी से प्रतिवेदन प्राप्त है। इस तरह, वाहन स्वामी के द्वारा इस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कर दिया गया है। अतः उक्त कांड में जब्त वाहन को मुक्त करने का आदेश निर्गत किया जा सकता है।

उभय पक्षों को सुनने एवं अभिलेख पर मौजूद कागजात के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर से अनुरोध है कि वे **पीयर** थाना कांड संख्या 138/2017, दिनांक 31.10.2017, धारा 290 भा0द0वि0 एवं धारा 30ए बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त वाहन स्कार्पियों निबंधन संख्या BR01PC-1309 को उसके स्वामी गरभू महतो, पे0 स्व0 रूपलाल महतो, साकिन सीमा, थाना सकरा, जिला मधुबनी को विहित प्रक्रिया के तहत उचित पहचान पर दो दिनों के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अपने स्तर से संबंधित थानाध्यक्ष को आदेश निर्गत करने का कष्ट करेंगे।

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि वे इस आदेश में अंकित वाहनों (1) BR01PC-1309 (2) BR06PC-8042 (3) BR06PD-4044 की खरीद–बिक्री पर अगले आदेश तक रोक लगाना सुनिश्चित करेंगे।

वरीय उप समाहर्त्ता, जिला विधि प्रशाखा, मुजफ्फरपुर को आदेश दिया जाता है कि वाहन स्वामी एवं जमानतदार के द्वारा दाखिल कागजात का उनके मूल से मिलान करके संतुष्ट होने के उपरांत इस आदेश की प्रति उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति सभी संबंधित को दी जाए एवं इस जिले के वेबसाइट पर भी इसे अपलोड कराया जाए।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

समाहर्त्ता,
–सह–जिला दण्डाधिकारी,
मुजफ्फरपुर।

प्रतिलिपि– SSP मु0/D.T.O. मु0/SHO पीयर/DPO, NIC, मु0/वाहन स्वामी/जमानतदार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। ज्ञापांक 101/ न्या0/दिनांक 22/1/19

समाहर्त्ता सह जिला दण्डाधिकारी, मुजफ्फरपुर ★ जिला विधि प्रशाखा